पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन
अधिकारी ..... के न होने से प्रकरण दिनांक 5/7/23
को पेश हो।

आज्ञा से
पीठासीन

5.7.23
बकुलाध पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन
अधिकारी ....अन्य राजकार्य में.....
होने से प्रकरण दिनांक 5.9.23
को पेश हो।

आज्ञा
पीठासीन

5.9.23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थना पत्र का मूल वाद स्वीकार होकर फैसल हो चुका है। जिससे इस प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। फिर सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

प्रतिमा वर्मा
IAS